कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 4708-09/14 दिनांक 11/11/14

संशोधित भवन निर्माण अनुमति पत्र

मै0 आदिस एस्टेटस प्रा0 लि0
64 सिधिया हाउस कनाट प्लैस
नई दिल्ली

विषय :– मै0 आदिस एस्टेटस प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम बेलनी तह0 बहरोड के खसरा नं0 491 से 498 रकबा 33147.09 वर्ग मी0 में व्यवसायिक एवं आवासीय परियोजना के संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत।

सन्दर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक 20.08.2014 के अनुसार ग्राम बेलनी तह0 बहरोड के खसरा नं0 491 से 498 रकबा 33147.09 वर्ग मी0 में व्यवसायिक एवं आवासीय भूखण्ड पर न्यास भवन मानचित्र समिति की 44वी बैठक दिनांक 12.09.2014 के एजेण्डा नं0 05 पर लिये गये निर्णय 40 मी0 ऊँचाई तक व्यवसायिक एवं आवासीय परियोजना के संशोधित भवन मानचित्र निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किए जाते है।

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तो के अध्याधीन, अधिकतम 5 वर्ष हेतु मान्य होगी।
02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनिमय 2013 के प्रावधानो के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
03. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
04. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।
05. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
06. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
07. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
08. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में न्यास को देनी होगी।
09. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
10. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावें तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वांहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
11. भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रैनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्त्ता की होगी।
12. प्रस्तुत भवन मानचित्रों मे वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इससे संबंधित प्रावधानो की पालना ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम 2013 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
13. पार्किंग/मैकेनिकल पार्किंग का प्रावधान ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम, 2013 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार पार्किंग क्षेत्र पार्किंग हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नही किया जावेगा।
14. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्त्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
15. भवन विनियामों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
16. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी0 रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
17. भूखण्ड में प्रत्येक 100 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक उँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।

18. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
19. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होगें।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
21. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदानुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
22. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त कर आवेदक द्वारा न्यास में प्रस्तुत करगा सुनिश्चित किया जावेगा तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
23. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानो के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदानुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
24. आवेदक द्वारा प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग के नियमो के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा।
25. EWS हेतु 56 फ्लेट एवं LIG हेतु 13 फ्लेट कुल 96 फ्लेट प्रस्तावित किये गये है। इन ईकाईयो का निष्पादन न्यास द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.05.2012 एवं एर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी व परिपत्रों / दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
26. प्रकरण में 40 मीटर ऊँचाई तक के भवन मानचित्रों की स्वीकृति जारी कि जा रही है। शेष ऊँचाई हेतु राज्य सरकार से निर्णय पश्चात तदानुसार कार्यवाही की जावेगी। यदि राज्य सरकार द्वारा मानचित्रों में संशोधन हेतु निर्देश दिये जाते है तो संशोधित मानचित्र तदानुसार आवेदक को प्रस्तुत करने होगे।

ऊपर वर्णित शर्तो एवं भवन विनियम के प्रावधानो के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

वरि0 नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

संलग्नः– भवन मानचित्र (   )

क्रमांकः आयोजना/ दिनांकः

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7.11.2014

वरि0 नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1/35

PROPOSED AREA DETAILS

S.NO.	TOWER TYPE	TYPE OF UNIT	AREA OF UNIT	UNIT PER FLOOR	NO. OF	NO. OF TOWERS	TOTAL UNITS	HEIGHT IN MTS	AREA PER FLOOR	GROUND COVERAGE	F.A.R. F.A.R. PER TOWER	STORE AREA/UNIT	TOTAL STORE AREA	TOTAL F.A.R. AREA (SQ.MTS)
1	A1,A4,A6&A9	2BHK-(UNITA)	72.256	2	(S+14)	4	112	44.89	144.512	578.048	6077.484	4.014	449.568	24309.936
		2BHK-(UNIT A1)	72.221	2	(S+14)		112	44.89	144.442	577.768		4.014	449.568	
		2BHK-(UNITB)	72.576	2	(S+14)		112	44.89	145.152	580.608		3.854	431.648	
2	A2,A7&A8	2BHK-(UNIT -A)	72.207	2	(S+14)	3	84	44.89	144.414	433.242	4045.44	4.014	337.176	12136.32
		2BHK-(UNIT A1)	72.273	2	(S+14)		84	44.89	144.546	433.638		4.014	337.176	
3	A5	2BHK-(UNIT-A)	72.58	2	(S+14)	1	28	44.89	145.16	145.16	4063.556	4.014	112.392	4063.556
		2BHK-(UNIT-A1)	72.547	2	(S+14)		28	44.89	145.094	145.094		4.014	112.392	
4	A3	2BHK-(UNIT-A))	72.26	1	(S+14)	1	14	44.89	72.26	72.26	7000.765	2.007	28.098	7000.765
		2BHK-(UNIT-A1)	72.147	1	(S+14)		14	44.89	72.147	72.147		2.007	28.098	
		2BHK-(UNIT-B)	72.576	2	(S+14)		28	44.89	145.152	145.152		3.552	49.728	
		2BHK-(UNIT-C)	79.913	1	(S+14)		14	44.89	79.913	79.913		0.927	12.978	
		2BHK-(UNIT-C1)	80.959	1	(S+14)		14	44.89	80.959	80.959		0.927	12.978	
5	B1&B2	3BHK-(UNIT-C)	102.189	1	(3RD+14)	2	24	44.89	102.189	102.189	7374.166	1.293	31.032	14748.332
		3BHK-(UNIT-C1)	102.378	1	(3RD+14)		24	44.89	102.378	102.378		1.293	31.032	
		3BHK-(UNIT-C)	102.189	1	(S+14)		28	44.89	102.189	102.189		1.293	36.204	
		3BHK-(UNIT-C1)	102.378	1	(S+14)		28	44.89	102.378	102.378		1.293	36.204	
		2BHK-(UNIT-B)	73.408	2	(S+14)		56	44.89	146.816	293.632		0.847	47.432	
TOTAL		MAIN UNIT	F.A.R.		TOTAL AREA		804							62258.909
6	GROUND 1ST & 2ND	SHOPS	989.482	3	2968.446					989.482	2968.446	5.812	5.812	7535.357
	3RD FLR.AREA	1 BHK	1284.647	1	1284.647						7535.357	9.445	94.45	
	4TH TO 13TH FLR. AREA	1 BHK	625.071	10	6250.71									
										5036.237	39065.214		>THAN 3% 2643.966	69794.266

TOTAL RESIDENTIAL GROUND COVERAGE	5036.237
TOTAL RESIDENTIAL FAR ACHIEVED (INCLUDING STORE AREA)	69294.707
REDUCTION OF FAR FOR STORE AREA (3% OF PROPOSED FAR)	2093.828
NET RESIDENTIAL FAR	67700.438

S.NO.	DETAILS	PERMISSIBLE SQMT	ACHIEVED SQMT
A	AREA AS PER APPROVED SITE PLAN	44,350.00	
B	AREA SURRENDED IN 90.0M ROAD	10,955.07	
C	AREA SURRENDED IN 18.0 VILLAGE ROAD	247.84	
D	NET PLOT AREA	33,147.09	
E	FAR	44085.63 (1.33)	
F	FAR AVAILED AGAINST EWS OBLIGATION	16573.55 (0.5)	
G	FAR ON SURRENDERED ROAD 90.0M	10955.07 (1)	
H	FAR ON SURRENDERED ROAD 18.0M	247.84 (1)	
I	TOTAL F.A.R (E+F+G+H)	71,862.08	
J	RESIDENTIAL FAR		67700.438
K	COMMERCIAL FAR	2,155.86	2968.446
			(2155.862 - 2968.446) =812.584
L	NET F.A.R (J+K)		70,668.88
M	CLUB/COMMUNITY CENTRE (5% FREE OF FAR)	3,593.10	1125.000
N	TOTAL GROUND COVERAGE	11601.48 (35%)	5036.237 (15.19%)
O	EWS&LIG AREA (MINIMUM BUILT UP AREA OF RESIDENTIAL FAR)	3347.18 (5%)	3424.472 (5.11%)
P	HEIGHT OF BUILDING	120 MTS	44.89 MTS
Q	SET BACK	30,14,14&14	30,14,14&14
R	GREEN PARK	6629.418 (20%)	8917.986(26.92)
S	PARKING	1197 ECU	1290 ECU
T	TOTAL F.A.R ACHIEVED (RESIDENTIAL+COMMERCIAL)		70668.880

F.A.R CALCULATION FOR FIRE CESS

S.NO.	DETAILS	ACHIEVED SQMT
A	TOTAL PROPOSED F.A.R	70,668.60
B	TOTAL PROPOSED F.A.R BELOW 40M	68,666.74
C	TOTAL PROPOSED F.A.R ABOVE 40M	2,001.86

S.No.	PARKING CALCULATION	ACHIEVED FAR	REQ.	REQ. ECU'S	REQ. PARKING NO.	PROPOSED NO. OF PARKING SURFACE	PROPOSED NO. OF PARKING BASEMENT
1	RESIDENTIAL @ 1ECU/75 SQMTS OF FAR	67700.438	75	902.67	903		
2	VISITOR PARKING @ 25%			225.67	226		
3	COMMERCIAL @ 1ECU/50 SQMTS OF FAR	2,968.45	50	59.37	60		
4	VISITOR PARKING @ 25% (commercial)			14.84	15		
	TOTAL PARKING ECU REQURED = 1204						
6	CAR PARKING @ 75 %				903	489	591
7	SCOOTER PARKING @ 20%		240.80	x3	722		
8	SCOOTER PARKING FOR EWS		56	x1	56		
9	SCOOTER PARKING FOR LIG		40	x2	80		
10	TOTAL SCOOTER PARKING				858	292	321
11	CYCLE PARKING REQUIRED @ 5% OF TOTAL PARKING		60.20	x6	361		
	TOTAL PARKING ECU ACHIEVED = 1284						

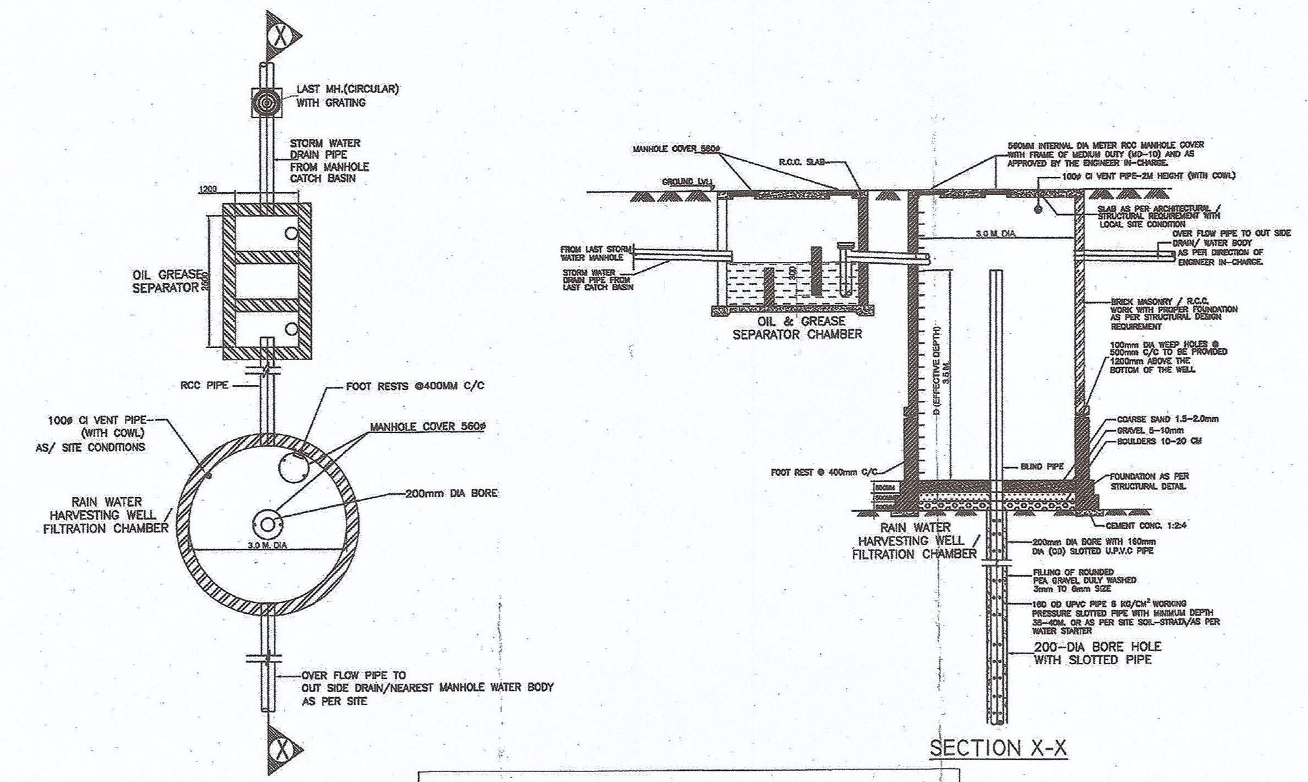

DETAIL OF RAINWATER HARVESTING PIT 'X' WITH OIL & GREASE SEPARATOR CHAMBER

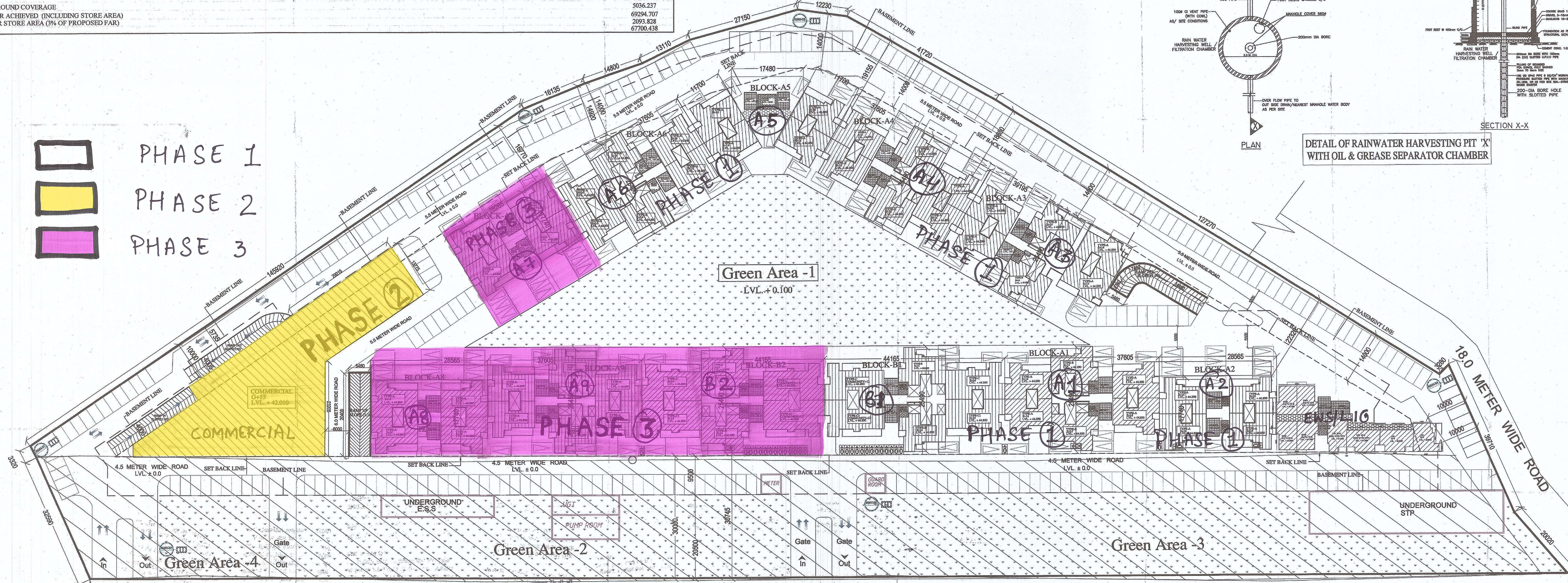

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

TO DEHLI

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकासी अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को निश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

90.0M WIDE ROAD NH.NO.8

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 12.09.14 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 4708-09 Dt. 11/11/14

359920

7.11.14
सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

7.11.2014
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

TO JAIPUR

ARCHITECTS :-	job title	sheet title	north	OWNER'S SIGN	ARCHITECT'S SIGN
GARG & ASSOCIATES ARCHITECTS , ENGINEERS , PLANNERS 46 REGAL BUILDING CONN. PLACE NEW DELHI - 110001 . PHONE 23742808 , 23742509 .	PROPOSED GROUP HOUSING FOR AVALON RIDGEVIEW PLOT NO. KHASRA NO. 491 TO 498 AT VILLAGE BELNI, TEHSIL BEHROR, DISTT. ALWAR (RAJASTHAN) M/S AVALON GROUP LTD.	SUBMISSION DRG. LAY-OUT PLAN dealt by: NITIN date: APR.2014 scale: 1:200	drg.no 01/35		Garg & Associates 16, Regal Building, Connaught Place, New Delhi-110001 GAGAN GARG-CA/99/25499 Ph. No. 9811225455

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2/35

S.NO	DETAIL	NO OF ECU
1	CARS IN OPEN	376
2	CARS IN STILT	113
3	SCOOTER IN OPEN 292/3	97
4	SCOOTER IN BASEMENT 321/3	107
5	CAR IN BASEMENT	591
	TOTAL PROPOSED ECU	1284
	PERMISSIBLE ECU	1197

(symbol)	OPEN CARS IN BLOCKS
(symbol)	STILT CAR
(symbol)	OPEN CARS AT BOUNDRY
(symbol)	SCOOTER PARKING

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार [illegible] संग्रहण का [illegible] प्रावधान रखा जावे अन्यथा [illegible] न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष [illegible] अन्यथा [illegible] नियमानुसार कार्यवाही की [illegible]

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी [illegible] भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा और न ही इससे किसी के स्वामित्व अधिकारों पर प्रभाव होगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UIT's Property

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

[illegible] शौचालय [illegible] सुनिश्चित किया जायेगा।

[illegible] पानी गिरने [illegible] प्रावधान किया जावे।

पेड़ लगाओं-हरियाली बढ़ाओ

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 12.09.14 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 4708-09 Dt. 11/11/14

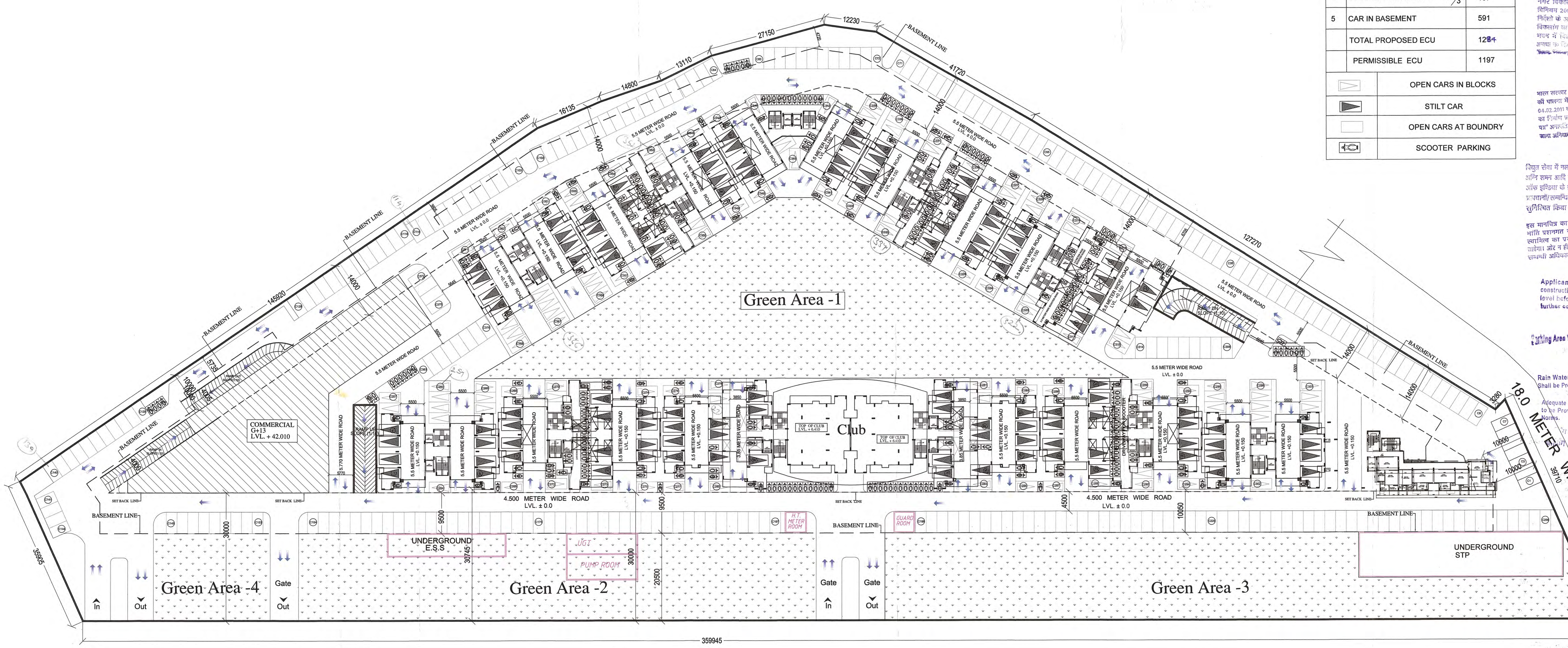

90.0M WIDE ROAD NH.NO.8

TO DEHLI

TO JAIPUR

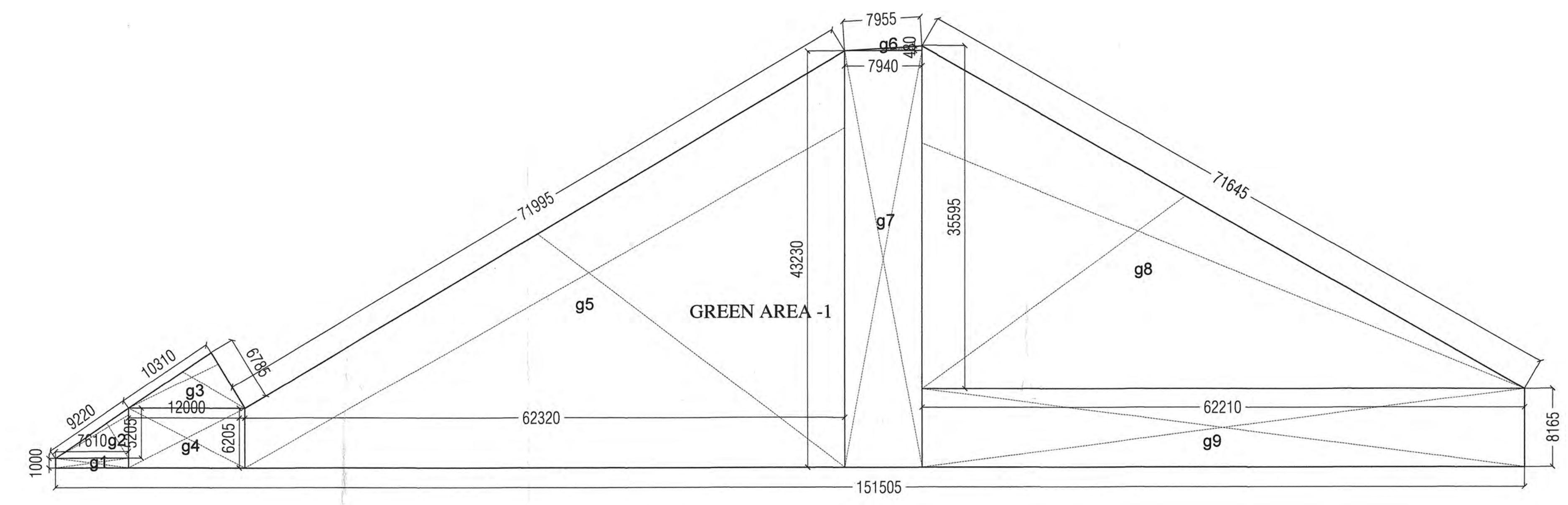

GREEN AREA CALCULATION:-

g1	7.610	x	1.000	x	1	7.610	sqm.
g2	7.610	x	5.205	x	0.5	19.805	sqm.
g3	12.000	x	10.310	x	0.5	61.860	sqm.
g4	12.000	x	6.205	x	1	74.460	sqm.
g5	62.320	x	43.230	x	0.5	1347.047	sqm.
g6	7.940	x	0.480	x	0.5	1.906	sqm.
g7	7.940	x	43.230	x	1	343.246	sqm.
g8	62.210	x	35.595	x	0.5	1107.182	sqm.
g9	62.210	x	8.165	x	1	507.945	sqm.
g10	27.190	x	20.270	x	1	551.141	sqm.
g11	120.315	x	20.270	x	1	2438.785	sqm.
g12	160.135	x	20.270	x	1	3245.936	sqm.
g13	12.685	x	20.270	x	0.5	128.562	sqm.
			TOTAL			9835.486	sqm.

TOTAL GREEN AREA CALCULATION:-

GREEN- MISC.

= 9835.486 - 917.50

= 8917.986 SQMT

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाडी 7.11.14

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाडी (अलवर) 7.11.2014

MISC.AREA CALCULATION:-

1.	STP	500 SQ MT
2.	ESS	150 SQ MT
3.	W.TANK / P.ROOM	180 SQ MT
4.	H.T .METER ROOM	25.00 SQ MT
5.	GUARD ROOM	25.00 SQ MT
6.	D.G.SET ROOM	37.50SQ MT
	TOTAL	917.50 SQ MT

GREEN PROVIDED OVER BASEMENT = 2963.116 SQM.

GREEN PROVIDED ON SURFACE = 5954.870 SQM.

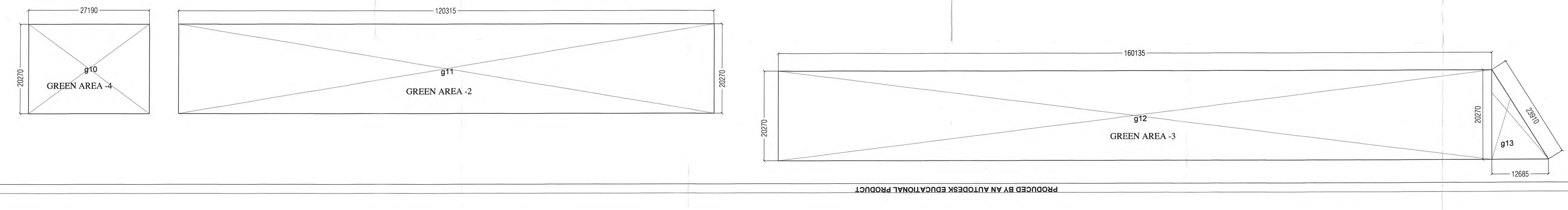

ARCHITECTS :-
GARG & ASSOCIATES
ARCHITECTS , ENGINEERS , PLANNERS
46 REGAL BUILDING CONN. PLACE
NEW DELHI - 110001 .
PHONE 23742808 , 23742509 .

job title

PROPOSED GROUP HOUSING FOR AVALON RIDGEVIEW
PLOT NO. KHASRA NO. 491 TO 498 AT VILLAGE BELNI, TEHSIL BEHROR, DISTT. ALWAR (RAJASTHAN)
M/S AVALON GROUP LTD.

sheet title	north
SUBMISSION DRG. STILT PLAN	

dealt by	date	drg.no
NITIN	MAR.2014	02/35
	scale	
	1:200	

OWNER'S SIGN

ARCHITECT'S SIGN

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3/35

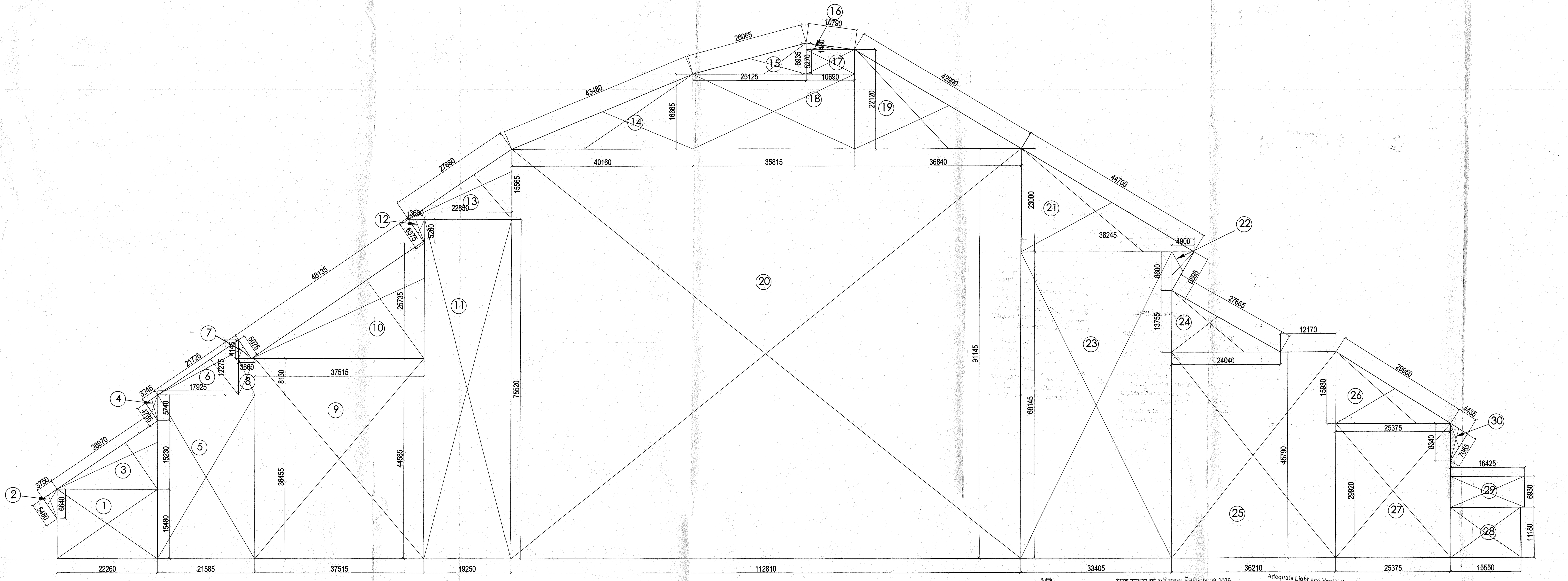

AREA DETAIL (BASEMENT PLAN):-

1	22.260	X	15.480	X	1	344.585	SQM.
2	6.640	X	5.480	X	0.5	18.194	SQM.
3	22.260	X	15.230	X	0.5	169.510	SQM.
4	5.740	X	3.245	X	0.5	9.313	SQM.
5	21.585	X	36.455	X	1	786.881	SQM.
6	17.925	X	12.275	X	0.5	110.015	SQM.
7	3.660	X	4.145	X	0.5	7.585	SQM.
8	3.660	X	8.130	X	1	29.756	SQM.
9	37.515	X	44.585	X	1	1672.606	SQM.
10	37.515	X	25.735	X	0.5	482.724	SQM.
11	19.250	X	75.520	X	1	1453.760	SQM.
12	5.260	X	3.600	X	0.5	9.468	SQM.
13	22.850	X	15.565	X	0.5	177.830	SQM.
14	40.160	X	16.665	X	0.5	334.633	SQM.
15	25.125	X	6.935	X	0.5	87.121	SQM.
16	10.690	X	1.480	X	0.5	7.911	SQM.
17	10.690	X	5.270	X	1	56.336	SQM.
18	35.815	X	16.665	X	1	596.857	SQM.
19	36.840	X	22.120	X	0.5	407.450	SQM.
20	112.810	X	91.145	X	1	10282.067	SQM.
21	38.245	X	23.000	X	0.5	439.818	SQM.
22	4.900	X	8.600	X	0.5	21.070	SQM.
23	33.405	X	68.145	X	1	2276.384	SQM.
24	24.040	X	13.755	X	0.5	165.335	SQM.
25	36.210	X	45.790	X	1	1658.056	SQM.
26	25.375	X	15.930	X	0.5	202.112	SQM.
27	25.375	X	29.920	X	1	759.220	SQM.
28	15.550	X	11.180	X	1	173.849	SQM.
29	16.425	X	6.930	X	1	113.825	SQM.
30	4.435	X	8.340	X	0.5	18.494	SQM.
			TOTAL			22872.765	SQM.

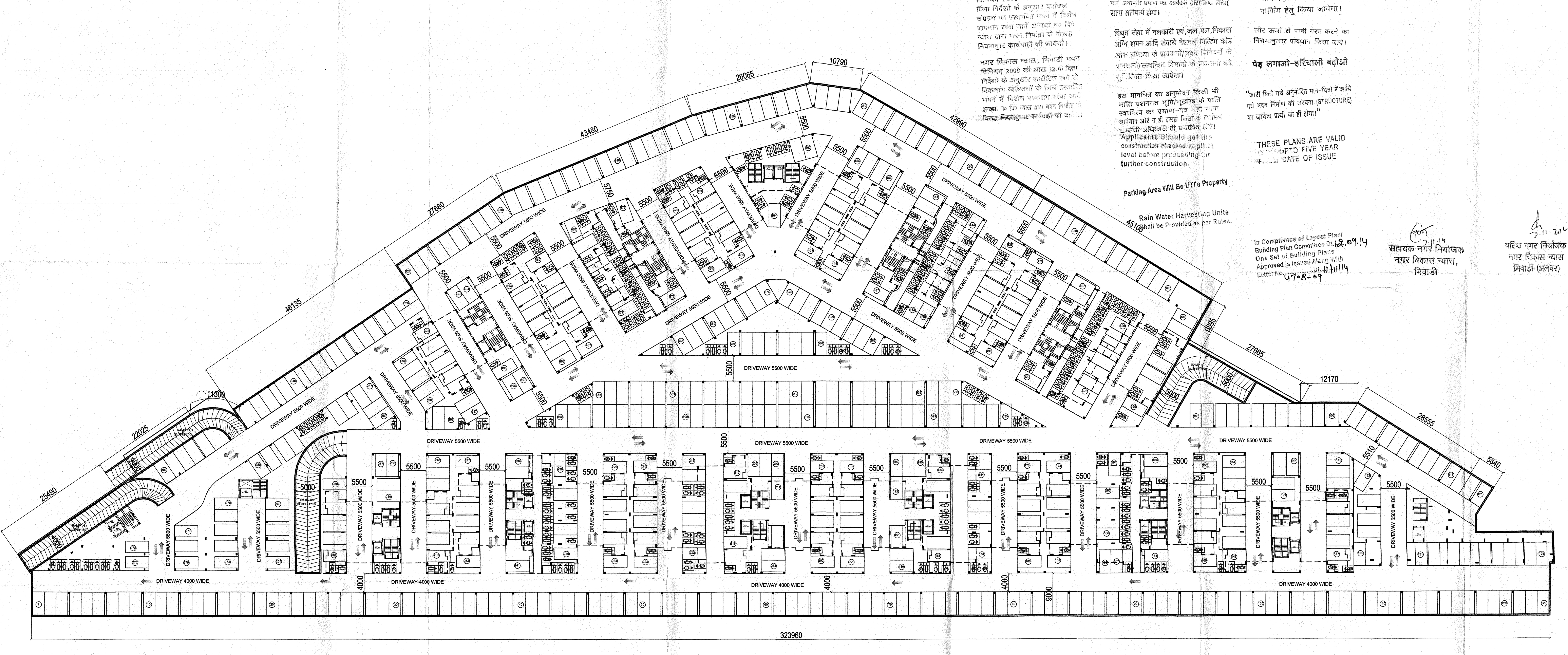

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नही माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों ही प्रभावित होंगे।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID [illegible] UPTO FIVE YEAR [illegible] DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 12.09.14 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 4708-09 Dt. 11/11/14

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

ARCHITECTS :-

GARG & ASSOCIATES
ARCHITECTS , ENGINEERS , PLANNERS
46 REGAL BUILDING CONN. PLACE
NEW DELHI - 110001 .
PHONE 23742808 , 23742509 .

job title

PROPOSED GROUP HOUSING FOR AVALON RIDGEVIEW
PLOT NO. KHASRA NO. 491 TO 498 AT VILLAGE BELNI,
TEHSIL BEHROR, DISTT. ALWAR (RAJASTHAN)
M/S AVALON GROUP LTD.

sheet title	north
SUBMISSION DRG. BASEMENT PLAN	

dealt by	date	drg.no
NITIN	APRIL.2014	03/35
	scale	
	1:200	

OWNER'S SIGN

ARCHITECT'S SIGN

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

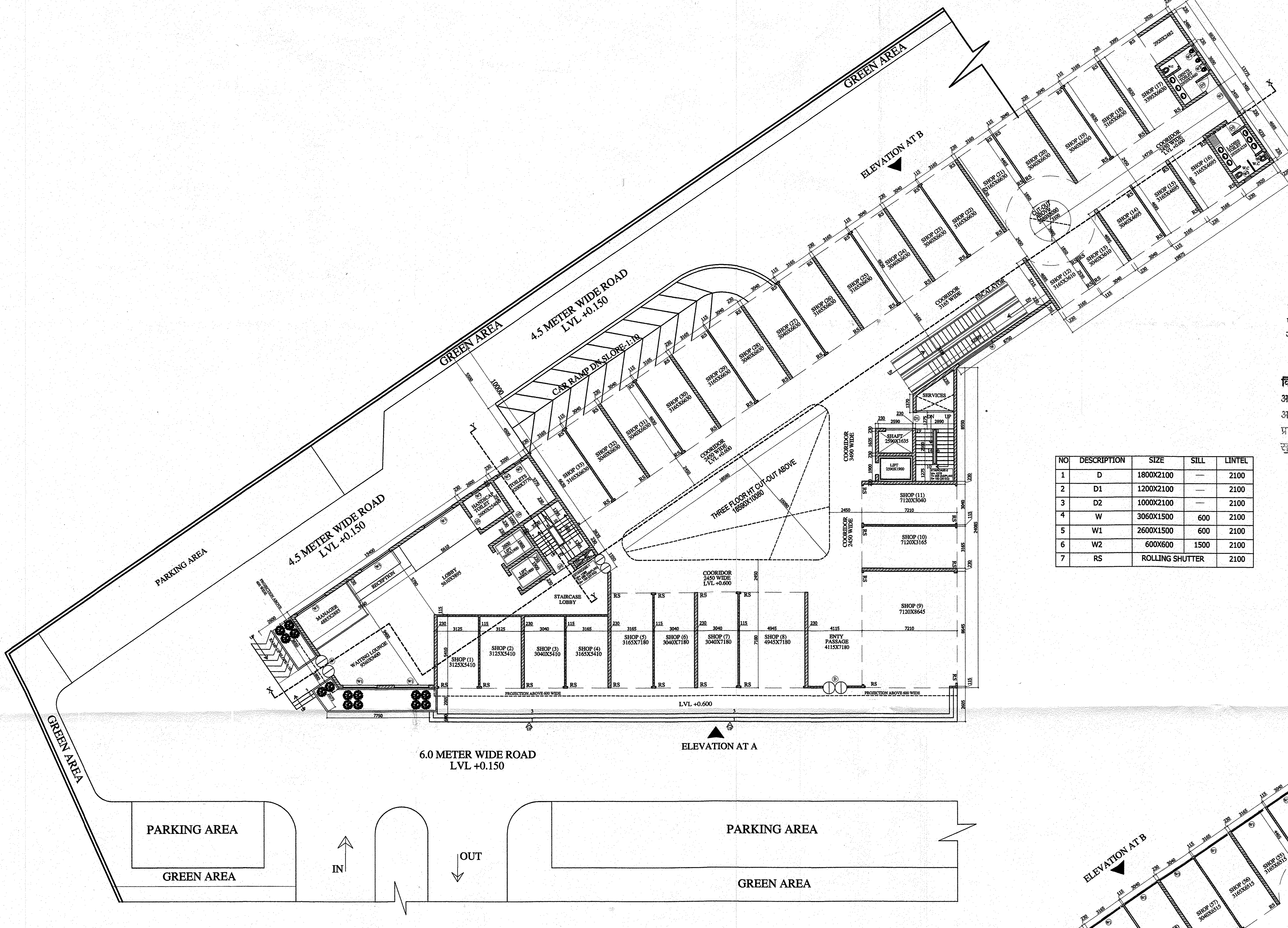

GROUND FLOOR PLAN

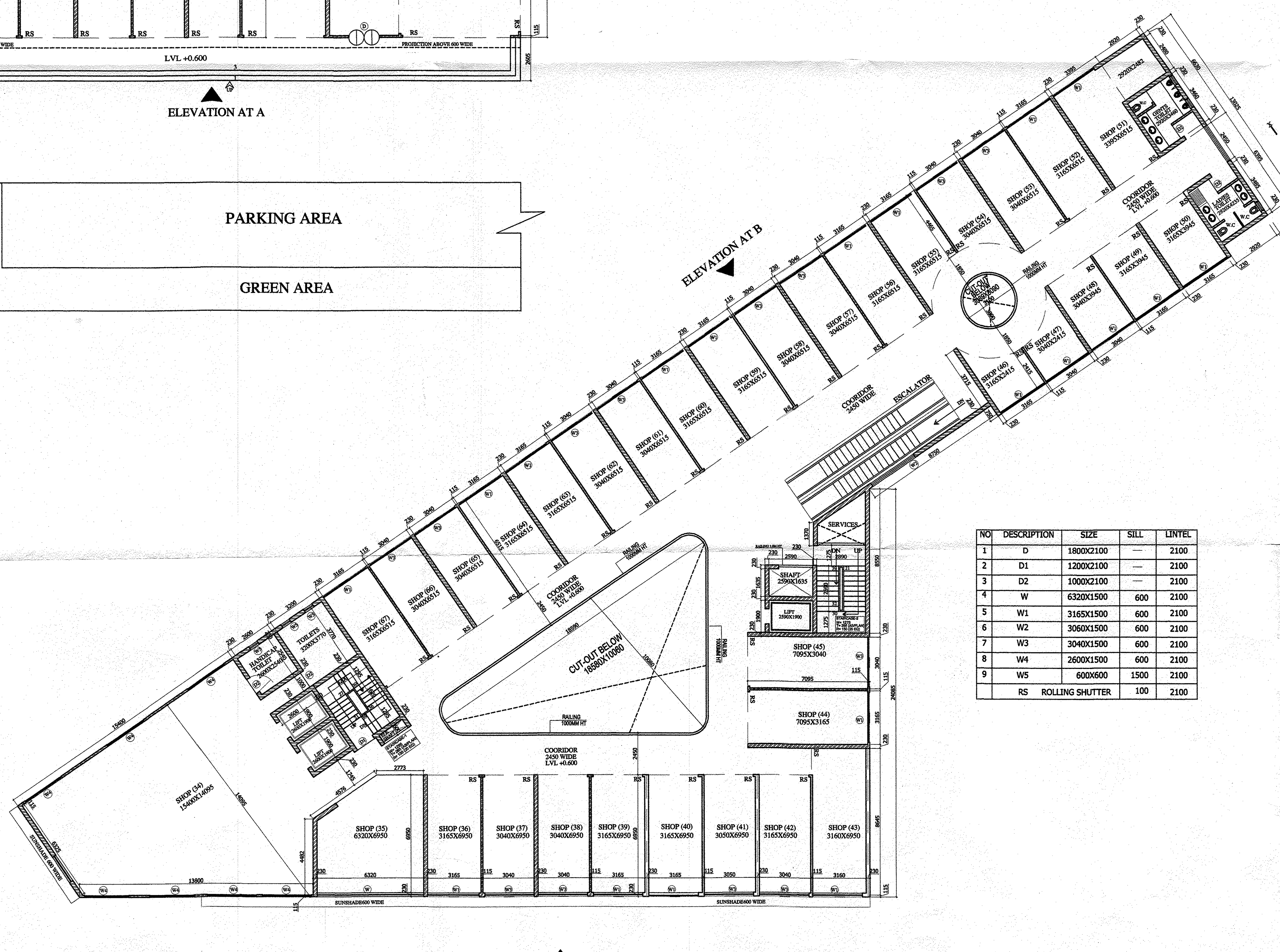

FIRST & SECOND FLOOR PLAN

ELEVATION AT A

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

NO	DESCRIPTION	SIZE	SILL	LINTEL
1	D	1800X2100	—	2100
2	D1	1200X2100	—	2100
3	D2	1000X2100	—	2100
4	W	3060X1500	600	2100
5	W1	2600X1500	600	2100
6	W2	600X600	1500	2100
7	RS	ROLLING SHUTTER		2100

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules,

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 12.09.14 One Set of Building Plans Approved is issued Along-With Letter No. 4708-09 Dt. 11/11/14

7.11.14
सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

7.11.2014
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

26/35

NO	DESCRIPTION	SIZE	SILL	LINTEL
1	D	1800X2100	—	2100
2	D1	1200X2100	—	2100
3	D2	1000X2100	—	2100
4	W	6320X1500	600	2100
5	W1	3165X1500	600	2100
6	W2	3060X1500	600	2100
7	W3	3040X1500	600	2100
8	W4	2600X1500	600	2100
9	W5	600X600	1500	2100
	RS	ROLLING SHUTTER	100	2100

ARCHITECTS :-

GARG & ASSOCIATES
ARCHITECTS , ENGINEERS , PLANNERS
46 REGAL BUILDING CONN. PLACE
NEW DELHI - 110001 .
PHONE 23742808 , 23742509 .

job title

PROPOSED GROUP HOUSING FOR AVALOAN-RIDGEVIEW at PLOT NO. KHASRA NO. 491 TO 498 AT VILLAGE BELNI, TEHSIL BEHROR, DISTT. ALWAR (RAJASTHAN) M/S AVALOAN GROUP

sheet title		north
SUBMISSION DRG. COMMERCIAL FLOOR PLANS		
dealt by	date	drg.no
NITIN	APRIL.2014	26/35
	scale	
	1:100	

OWNER'S SIGN

ARCHITECT'S SIGN

Garg & Associates
46, Regal Building, Connaught Place.
New Delhi-110001
GAGAN GARG-CA/99/25492
Ph. No. 9811225455

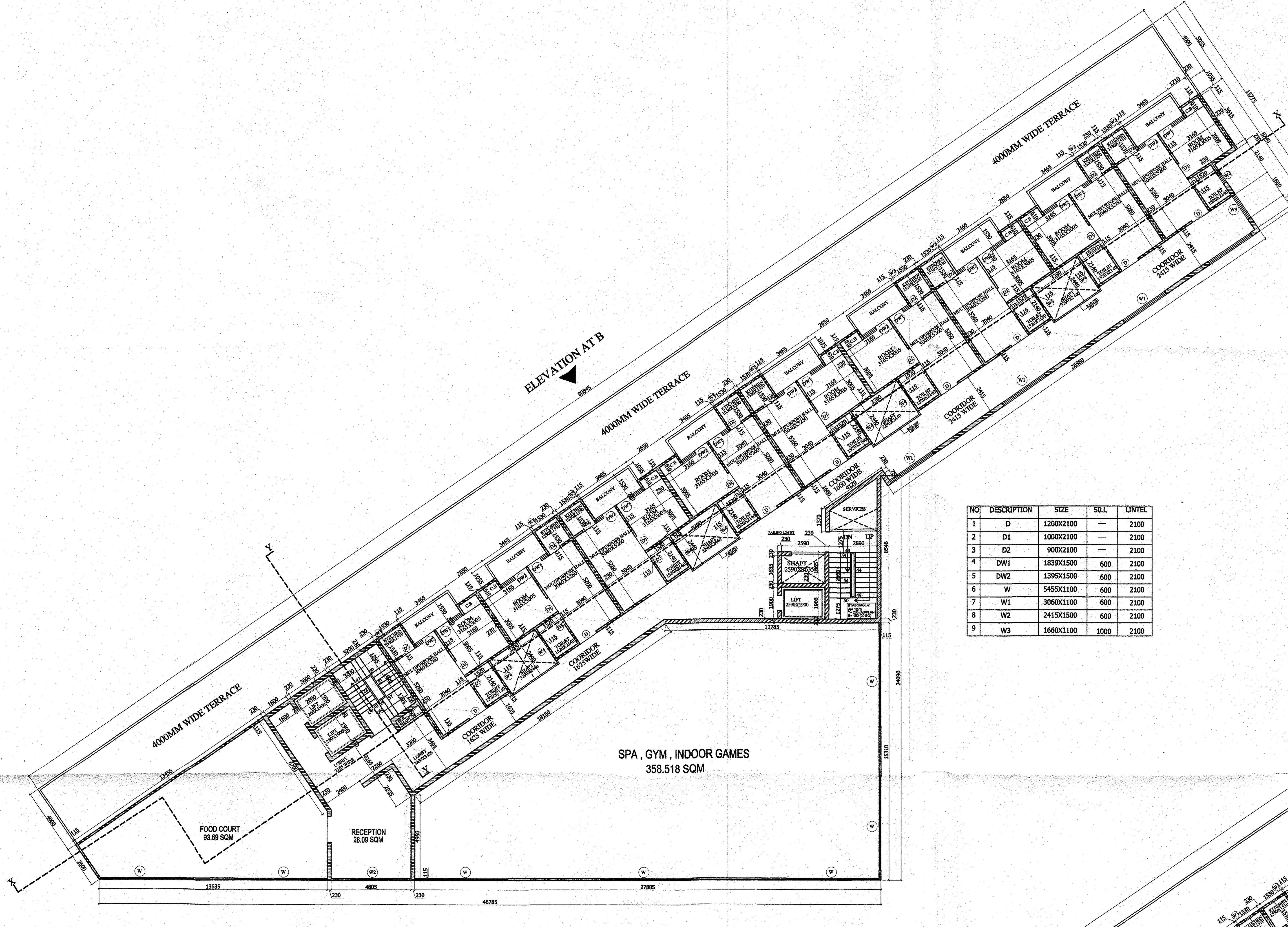

ELEVATION AT A

THIRD FLOOR PLAN

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकासी अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt...12.09.14
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No.................Dt..11/11/14
4708-09

NO	DESCRIPTION	SIZE	SILL	LINTEL
1	D	1200X2100	—	2100
2	D1	1000X2100	—	2100
3	D2	900X2100	—	2100
4	DW1	1839X1500	600	2100
5	DW2	1395X1500	600	2100
6	W	5455X1100	600	2100
7	W1	3060X1100	600	2100
8	W2	2415X1500	600	2100
9	W3	1660X1100	1000	2100

7.11.14
सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

5.11.2014
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

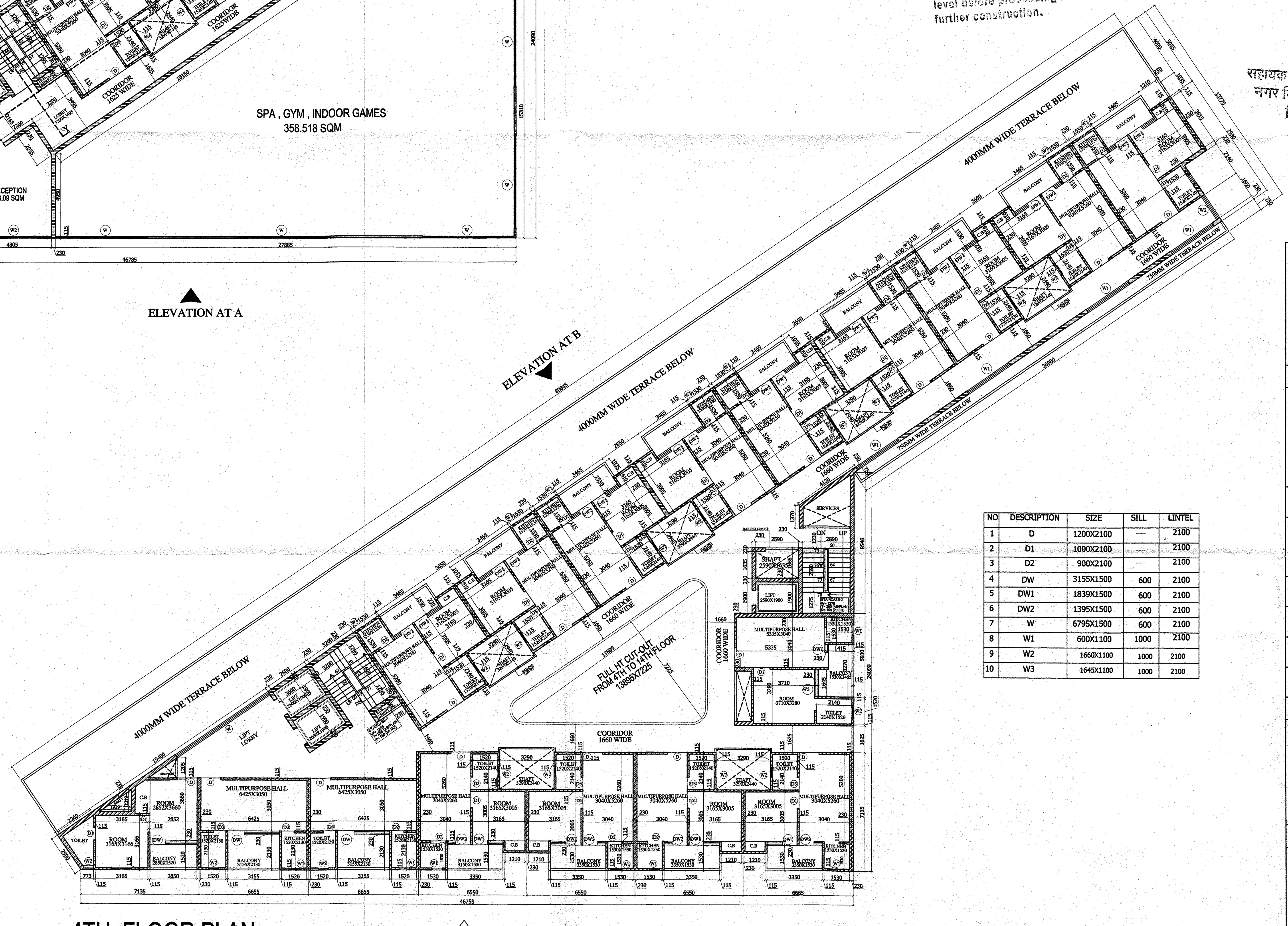

NO	DESCRIPTION	SIZE	SILL	LINTEL
1	D	1200X2100	—	2100
2	D1	1000X2100	—	2100
3	D2	900X2100	—	2100
4	DW	3155X1500	600	2100
5	DW1	1839X1500	600	2100
6	DW2	1395X1500	600	2100
7	W	6795X1500	600	2100
8	W1	600X1100	1000	2100
9	W2	1660X1100	1000	2100
10	W3	1645X1100	1000	2100

4TH FLOOR PLAN

ELEVATION AT A

ARCHITECTS :-

GARG & ASSOCIATES
ARCHITECTS , ENGINEERS , PLANNERS
46 REGAL BUILDING CONN. PLACE
NEW DELHI - 110001.
PHONE 23742808 , 23742509 .

job title

PROPOSED GROUP HOUSING FOR AVALOAN-RIDGEVIEW at PLOT NO. KHASRA NO. 491 TO 498 AT VILLAGE BELNI, TEHSIL BEHROR, DISTT. ALWAR (RAJASTHAN) M/S AVALOAN GROUP

sheet title		north
SUBMISSION DRG. COMMERCIAL FLOOR PLANS		
dealt by	date	drg.no
NITIN	APRIL.2014	27/35
	scale	
	1:100	

OWNER'S SIGN

ARCHITECT'S SIGN

Garg & Associates
46, Regal Building, Connaught Place,
New Delhi-110001
GAGAN GARG-CA/99/25409
Ph. No. 9811225455

27/35

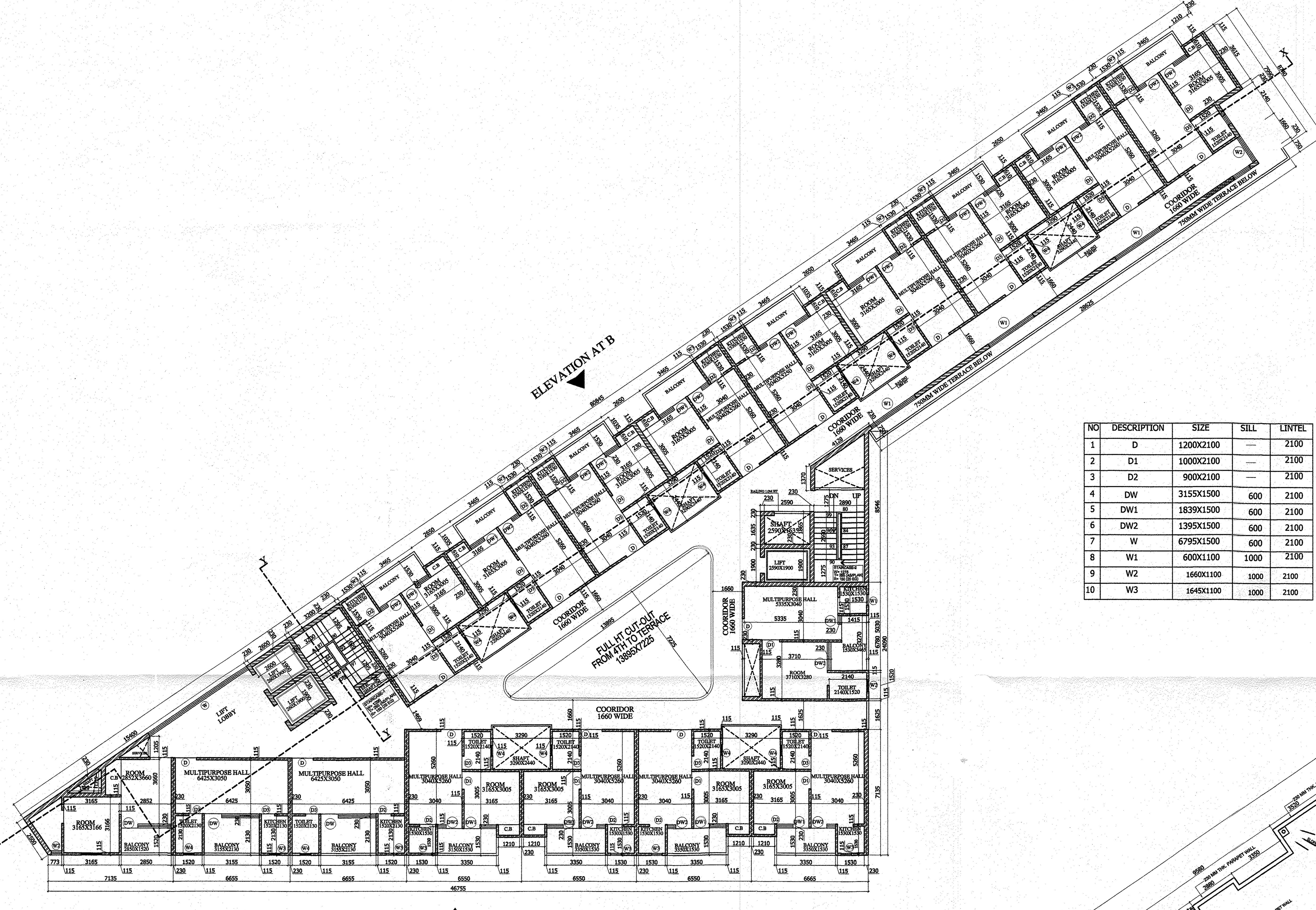

TYPICAL FLOOR PLAN

ELEVATION AT A

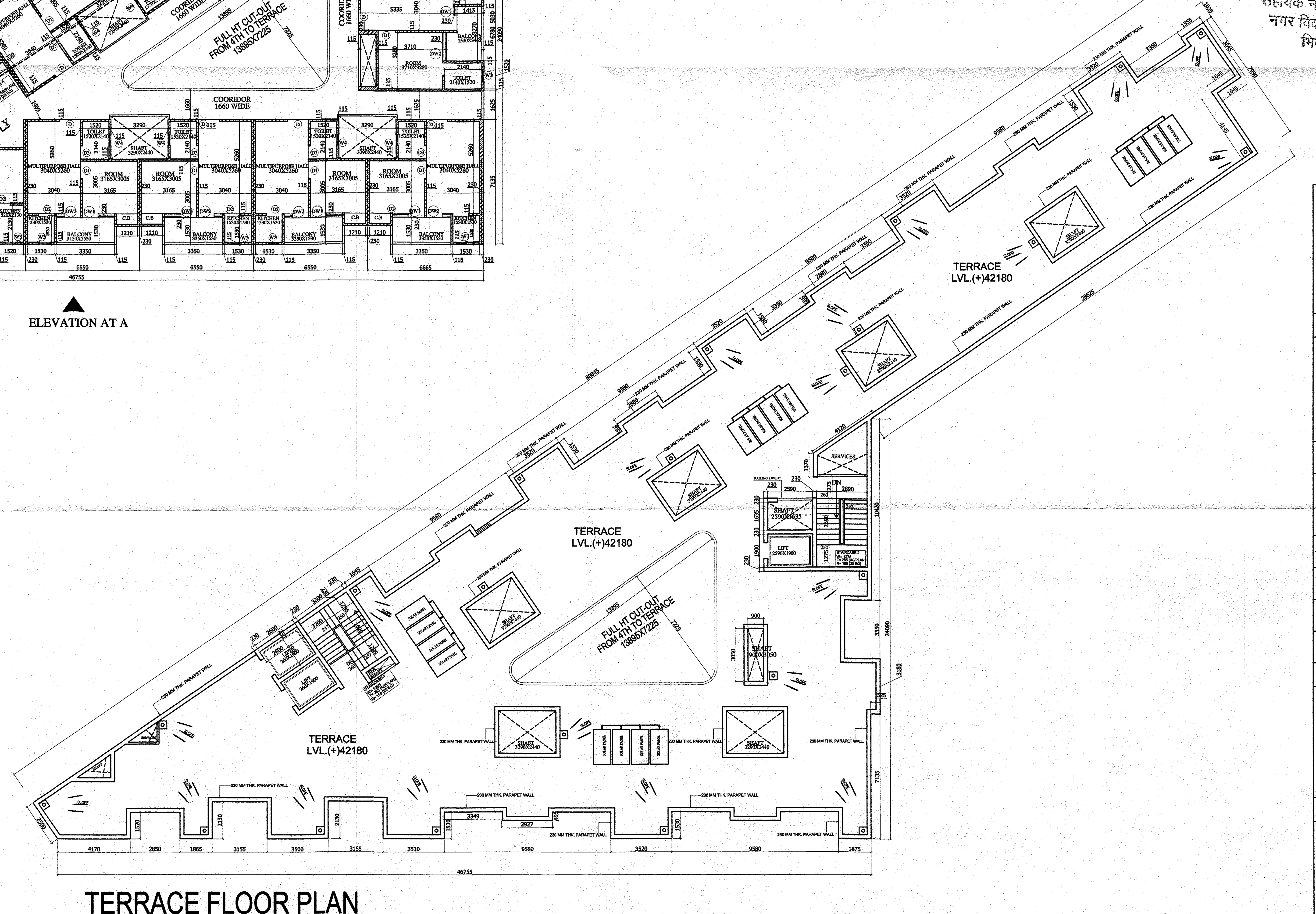

TERRACE FLOOR PLAN

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

NO	DESCRIPTION	SIZE	SILL	LINTEL
1	D	1200X2100	—	2100
2	D1	1000X2100	—	2100
3	D2	900X2100	—	2100
4	DW	3155X1500	600	2100
5	DW1	1839X1500	600	2100
6	DW2	1395X1500	600	2100
7	W	6795X1500	600	2100
8	W1	600X1100	1000	2100
9	W2	1660X1100	1000	2100
10	W3	1645X1100	1000	2100

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशासनगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

Rain Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Vantilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 12.09.14
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 4708-09 Dt. 11/11/14

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

28/35

ARCHITECTS :-

GARG & ASSOCIATES
ARCHITECTS , ENGINEERS , PLANNERS
46 REGAL BUILDING CONN. PLACE
NEW DELHI - 110001 .
PHONE 23742808 , 23742509 .

job title

PROPOSED GROUP HOUSING FOR AVALOAN-RIDGEVIEW at PLOT NO. KHASRA NO. 491 TO 498 AT VILLAGE BELNI, TEHSIL BEHROR, DISTT. ALWAR (RAJASTHAN) M/S AVALOAN GROUP

sheet title	north
SUBMISSION DRG. COMMERCIAL FLOOR PLANS	

dealt by	date	drg.no
NITIN	APRIL.2014	28/35
	scale	
	1:100	

OWNER'S SIGN

ARCHITECT'S SIGN

Garg & Associates
46, Regal Building, Connaught Place,
New Delhi-110001
GAGAN GARG-CA/99/25409
Ph. No. 9811225455

ELEVATION AT A

ELEVATION AT B

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लियें प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जायें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नही माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होगे।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ोओ

"जारी किये गये अनुमोदित मान–चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 12.09.14 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 4708-09 Dt. 11.11.14

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

7.11.2014
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

ARCHITECTS :- GARG & ASSOCIATES ARCHITECTS, ENGINEERS, PLANNERS 46 REGAL BUILDING CONN. PLACE NEW DELHI - 110001. PHONE 23742808, 23742509.	
job title	
PROPOSED GROUP HOUSING FOR AVALOAN-RIDGEVIEW at PLOT NO. KHASRA NO. 491 TO 498 AT VILLAGE BELNI, TEHSIL BEHROR, DISTT. ALWAR (RAJASTHAN) M/S AVALOAN GROUP	
sheet title	north
SUBMISSION DRG. COMMERCIAL ELEVATIONS	
dealt by / date	drg.no
NITIN / APRIL.2014	29/35
scale: 1:100	
OWNER'S SIGN	
ARCHITECT'S SIGN	

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशो के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशो के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

SECTION XX

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नही माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction,

Parking Area Will Be UTI's Property

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावें।

पैड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रो में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 12.09.14 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 4708-09 Dt. 11/11/14

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

SECTION YY

11.7.2014

बरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

ARCHITECTS :-

GARG & ASSOCIATES
ARCHITECTS , ENGINEERS , PLANNERS
46 REGAL BUILDING CONN. PLACE
NEW DELHI - 110001 .
PHONE 23742808 , 23742509 .

job title

PROPOSED GROUP HOUSING FOR AVALOAN-RIDGEVIEW at PLOT NO. KHASRA NO. 491 TO 498 AT VILLAGE BELNI, TEHSIL BEHROR, DISTT. ALWAR (RAJASTHAN) M/S AVALOAN GROUP

sheet title	north
SUBMISSION DRG. COMMERCIAL SECTIONS	

dealt by	date	drg.no
NITIN	APRIL.2014	30/35
	scale	
	1:100	

OWNER'S SIGN

ARCHITECT'S SIGN

Garg & Associates
46, Regal Building, Connaught Place,
New Delhi-110001
GAGAN GARG-CA/99/25499
Ph. No. 9811225155